रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 227

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 375] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 1970/आश्विन 23, 1892

No. 375] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 1970/ASVINA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 14th October 1970

S.O. 3398.—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. These rules may be called the Income-tax (Third Amendment) Rules, 1970.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), rule 6A shall be renumbered as rule 6AA thereof, and before the rule as so renumbered, the following rule shall be inserted, namely:—

"6A(1) *Prescribed authority, services, etc. for agricultural development allowance.*—For the purposes of clause (a) of sub-section (1) of section 35C, the 'prescribed authority' shall be the Secretary, Department of Agriculture, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, Government of India, or any other officer of that Department nominated by him in this behalf.

(2) For the purposes of sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) of section 35C, the prescribed services and facilities shall be as follows, namely:—

(i) dissemination of information no, or demonstration of, modern techniques or methods of processing, marketing and storage of seeds;

(ii) services or facilities given to seed growers for the purposes of storage, transport and insurance of seeds.".

3. In rule 18A of the principal rules, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

Sl. No.	Name of the State or Union Territory	Designation of the authority
1.	Andaman and Nicobar Islands	Labour Commissioner, Andaman and Nicobar Islands.
2.	Andhra Pradesh	Chief Inspector of Factories, Andhra Pradesh, Hyderabad.
3.	Bihar	Rehabilitation Commissioner, Government of Bihar
4.	Delhi	Director of Industries, Delhi.
5.	Goa, Daman and Diu	Labour Commissioner, Government of Goa, Daman and Diu.
6.	Gujarat	Industries Commissioner, Government of Gujarat.
7.	Haryana	Director of Industries, Government of Haryana.
8.	Himachal Pradesh	Director of Industries, Himachal Pradesh, Simla.
9.	Jammu & Kashmir	Director of Industries, Government of Jammu and Kashmir.
10.	Kerala	Secretary, Labour and Social Welfare Department Government of Kerala.
11.	Madhya Pradesh	Rehabilitation Commissioner, Government of Madhya Pradesh.
12.	Maharashtra	Director, Relief and Rehabilitation, Chandrapur.
13.	Manipur	Deputy Commissioner of Manipur.
14.	Mysore	Director of Industries and Commerce, Government Mysore.
15.	Nagaland	Labour Secretary, Government of Nagaland.
16.	Orissa	Rehabilitation Commissioner, Government of Orissa.
17.	Pondicherry	Secretary, Revenue and Development Department Government of Pondicherry.
18.	Punjab	Director of Industries, Government of Punjab.
19.	Tamil Nadu	Commissioner of Labour, Government of Tamil Nadu, Madras.
20.	Tripura	Director of Industries, Government of Tripura.
21.	Uttar Pradesh	Labour Commissioner, Goverment of Uttar Pradesh.
22.	West Bengal	Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bangal.'

4. After rule 29A of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"29B. *Application for certificate authorising receipt of interest and other sums without deduction of tax*—(1) Any person entitled to receive any interest, or other sum, on which income-tax has to be deducted under sub-section (1) of section 195 may, if he fulfils the conditions specified in sub-rule (2), make an application for the grant of a certificate under sub-section (3) of section 195 authorising him to receive without deduction of tax under sub-section (1) of that section any such income as is specified hereinbelow, namely—

(i) where the person concerned is a banking company which is neither an Indian company nor a company which has made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends within India, and which carries on operations in India through a branch, any income by way of interest, not being 'Interest on securities', or any other sum, not being dividends;

(ii) in the case of any other person who carries on a business or profession in India through a branch, any sum, not being interest or dividends, in so far as such interest or other sum is receivable by such branch on its own account and not on behalf of its head office or any branch situated outside India, or any other person.

(2) The conditions referred to in sub-rule (1) are the following namely:—

(i) the person concerned has been regularly assessed to income-tax in India and has furnished the returns of income for all assessment years for which such returns became due on or before the date on which the application under sub-rule (1) is made;

(ii) he is not in default or deemed to be in default in respect of any tax (including advance tax and tax payable under section 140A), interest, penalty, fine, or any other sum payable under the Act;

(iii) he has not been subjected to penalty under clause (iii) of sub-section (1) of section 271;

(iv) where the person concerned is not a banking company referred to in clause (i) of sub-rule (1)—

(a) he has been carrying on business or profession in India continuously for a period of not less than five years immediately preceding the date of the application, and

(b) the value of the fixed assets in India of such business or profession as shown in his books for the previous year which ended immediately before the date of the application or, where the accounts in respect of such previous year have not been made up before the said date, the previous year immediately preceding that year, exceeds fifty lakhs of rupees.

(3) The application under sub-rule (1) by a banking company shall be in form No. 15C and by any other person [referred to in clause (ii) of sub-rule (1)] shall be in form No. 15D.

(4) The Income-tax Officer may give a certificate authorising the person concerned to receive the income specified in clause (i) or clause (ii) of sub-rule (1), without deduction of tax under sub-section (1) of section 195, if he is satisfied that all the conditions laid down in sub-rule (2) are fulfilled and the issue of any such certificate will not be prejudicial to the interests of revenue.

(5) The certificate shall be valid for the financial year specified therein, unless it is cancelled by the Income-tax Officer at any time before the expiry of the said financial year. An application for a fresh certificate may be made, if required, after the expiry of the period of validity of the earlier certificate, or within three months before the expiry thereof.

(6) The certificate shall be in Form No. 15E.".

5. In Appendix II to the principal rules, after Form No. 15B, the following forms shall be inserted, namely:—

"FORM NO. 15C

[*See* Rule 29B]

Application by a banking company for a certificate under section 195 (3) of the Income tax Act, 1961 for receipt of interest and other sums without deduction of tax.

To

The Income-tax Officer,

.....

Sir,

I, ...being the principal Officer of
(Name of the banking company)

hereby declare:—

(*a*) that.....is a banking company which is neither an Indian company nor a company which has made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends within India and which is operating in India through a branch (es) at

(*b*) that the head-office of the said company is situated at
(Name of the place and country.)

(*c*) that the said company is entitled to receive interest (other than 'Interest on securities') and other sums not being dividends, chargeable under the provisions of the Income tax Act 1961 during the financial year 19 19.....

(*d*) that the company fulfils all the conditions laid down in rule 29B of the Income-tax Rules, 1962.

I, therefore, request that a certificate may be issued authorising the said company to receive interest other than 'Interest on securities' and other sums not being dividends, without deduction of tax under sub-section (1) of section 195 of the Income-tax Act, 1961 during the financial year 19 19.....

I hereby declare that what is stated in this application is correct.

Date

Signature

Address

FORM NO. 15D

[*See* Rule 29B]

Application by a person other than a banking company for a certificate under section 195 of the Income-tax Act, 1961 for receipt of sums other than interest and dividends without deduction of tax.

To

The Income-tax Officer,
.....

Sir,

I being the principal officer of/.....

We

(Name of the person, firm or company entitled to receive sums other than interest and dividends)

do hereby declare—

(*a*) that I/ am/is a
(Name of the firm, company, etc.)

non-resident assessee (not being a banking company) carrying on business/profession in India through a branch (es) by name (s).....having office (s) at.....;

(*b*) that my head office/the head office of.....
(Name of the firm, company, etc.)

is situated at.....;
(Name of the place and country)

(*c*) that I.....am/is entitled
(Name of the firm, company, etc.)

to receive income (other than dividends and interest) chargeable under the provisions of the Income-tax Act, 1961 during the financial year 19.....19.....

(*d*) that I/.....fulfil (s) all the
(Name of the firm company, etc.)

conditions laid down in rule 29B of the Income-tax Rules, 1962.

I, therefore, request that a certificate may be issued authorising me/.....
.....to receive income other than interest
(Name of the firm, company, etc.)

or dividends without deduction of tax under sub-section (1) of section 195 of the Income-tax Act, 1961 during the financial year 19.....19.....

I hereby declare that what is stated in this application is correct.

Date

Signature

Address

FORM No. 15E

[*See* Rule 29B]

Certificate under section 195(3) of the Income-tax Act, 1961 authorising receipt of interest and other sums without deduction of tax.

Income-tax Office
Date
Certificate No

To

.....
.....

Sir,

I hereby authorise you to receive through your branch (es) situated at /all your branches situated in India, the following sums without deduction of income-tax under sub-section (1) of section 195 of the Income-tax Act, 1961 :—

- (*a*) interest not being 'Interest on securities'.
- (*b*) any other sum, not being dividends,
- (*c*) any sums, not being interest or dividends.

This certificate covers only such sums as are receivable by the aforesaid branch (es) on its/their own account and not those which are receivable on behalf of your head office or any other branch outside India or any other person.

This certificates shall remain in force for the financial year 19....19 .. unless it is cancelled by me under intimation to you before the expiry of the said financial year.

(Seal) Income-tax Officer.

*Delete the inappropriate words."

[No. 161/F. No. 131(22)/70-TPL.]
R. R. KHOSLA, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आयकर

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1970

एस० ओ० 3398.—टी० पी० एल०/आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आयकर नियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. ये नियम आयकर (तृतीय संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात मुख्य नियम कहा गया है) में नियम 6-क को उसके नियम 6-क-क के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुन: संख्यांकित नियम से पूर्व निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6क(1) **कृषि विकास मत्ते के लिए विहित प्राधिकारी, सेवायें आदि**—

धारा 35 (ग) की उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी भारत सरकार के खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के कृषि विभाग के, सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त उस विभाग का नाम निर्दिशित कोई अन्य अधिकारी ।

(2) धारा 35 ग की उपधारा (1) के ख ड (ख) के उपखण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए विहित सेवाएं और सुविधायें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :—

(1) बीजों के प्रसंस्करण, विपणन और भण्डारकरण की आधुनिक तकनीकी या रीतियों के विषय में जानकारी का प्रचार करना या प्रदर्शन करना ।

(2) बीजों के भण्डारकरण, परिवहन और बीमे के प्रयोजनों के लिए बीज उगाने वालों को दी गई सेवाएं और सुविधायें ।"

3. मुख्य नियमों के नियम 18क में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राधिकारी का पदाभिधान
1	2	3
1	अन्दमान और निकोबार द्वीप	श्रम आयुक्त, अन्दमान और निकोबार द्वीप ।
2	आन्ध्र प्रदेश	मुख्य निरीक्षक, कारखाना, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद
3	बिहार	पुनर्वास आयुक्त, बिहार सरकार
4	दिल्ली	उद्योग निदेशक, दिल्ली
5	गोवा, दमण और दीव	श्रम आयुक्त, गोवा, दमण और दीव सरकार
6	गुजरात	उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार
7	हरियाणा	उद्योग निदेशक, हरियाणा सरकार
8	हिमाचल प्रदेश	उद्योग निदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला
9	जम्मू और कश्मीर	उद्योग निदेशक, जम्मू और काश्मीर सरकार
10	केरल	सचिव, श्रम और समाज-कल्याण विभाग, केरल सरकार
11	मध्य प्रदेश	पुनर्वास आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार
12	महाराष्ट्र	सहायता और पुनर्वास निदेशक, चन्द्रपुर
13	मनीपुर	उपायुक्त, मनीपुर
14	मैसूर	उद्योग और वाणिज्य निदेशक, मैसूर सरकार
15	नागालैंड	श्रम, सचिव नागालैंड सरकार
16	उड़ीसा	पुनर्वास आयुक्त, उड़ीसा सरकार
17	पाडिचेरी	सचिव, राजस्व और विकास विभाग, पाण्डिचेरी सरकार

1	2	3
18	पंजाब	उद्योग निदेशक, पंजाब सरकार ।
19	तमिलनाडु	श्रम आयुक्त, तमिलनाडु सरकार, मद्रास ।
20	त्रिपुरा	उद्योग निदेशक, त्रिपुरा सरकार ।
21	उत्तर प्रदेश	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ।
22	पश्चिमी बंगाल	शरणार्थी पुनर्वास आयक्त, पश्चिमी बंगाल ।

4. मुख्य नियमों के नियम 29क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"29-ख. कर की कटौती किए बिना ब्याज और अन्य राशियों की प्राप्ति को प्राधिकृत करने वाले प्रमाणपत्र के लिए आवेदन :—

(1) किसी ब्याज या अन्य राशि, जिस पर धारा 195 की उपधारा (1) के अधीन आयकर की कटौती की जानी है, को प्राप्त करने का हकदार कोई व्यक्ति यदि वह उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी करता है, तो वह धारा 195 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए, जिसके द्वारा उसे उस धारा की उपधारा (2) के अधीन कर की कटौती किए बिना कोई ऐसी आय, जो नीचे विनिर्दिष्ट है प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करे, आवेदन दे सकता है, अर्थात् :—

(i) जहां सम्बन्धित व्यक्ति कोई ऐसी बैंककारी कम्पनी है जो न तो भारतीय कम्पनी है और न ऐसी कम्पनी है जिसने भारत में लाभांश को घोषणा और संदाय के लिए विहित इंतजाम किए हैं और जो किसी शाखा की मार्फत भारत में काम कर रही है, ब्याज के रूप में कोई आय जो 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' नहीं है या कोई अन्य राशि जो लाभांश नहीं है ;

(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में जो किसी शाखा की मार्फत भारत में कारबार या वृत्ति करता है कोई राशि जो ब्याज या लाभांश नहीं,

जहां तक ऐसा ब्याज या अन्य राशि ऐसी शाखा द्वारा अपने हिसाब में प्राप्त है, और अपने मुख्यालय या भारत से बाहर स्थित किसी शाखा या किसी अन्य व्यक्ति को ओर से नहीं ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(i) सम्बन्धित व्यक्ति का भारत में नियमित रूप से आयकर निर्धारण किया गया है और उसने उस सब निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी दी है जिसके लिए ऐसी विवरणियां उपनियम (1) के अधीन आवेदन दिए जाने की तारीख को या उससे पूर्व देय हुई हैं ।

(ii) वह किसी कर (जिसमें अग्रिम कर और धारा 140 क के अधीन संदेय कर सम्मिलित हैं) ब्याज, शास्ति, जर्माना, या अधिनियम के अधीन संदेय किसी अन्य राशि के सम्बन्ध में व्यतिक्रम में नहीं है या व्यतिक्रम में नहीं समझा गया है ;

(iii) वह धारा 271 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन शास्ति से दण्डित नहीं हुआ है ;

(iv) जहां सम्बन्धित व्यक्ति उपनियम (1) के खंड (1) में निर्दिष्ट कोई बैंककारी कम्पनी नहीं है—

(क) वह भारत में आवेदन की तारीख से अव्यवहित पूर्व 5 वर्ष से अन्यून की कालावधि के लिए लगातार कारबार या वृत्ति कर रहा है ; और

(ख) भारत में ऐसे कारबार या वृत्ति की जैसा कि उसकी पूर्व वर्ष की बहियों में जो आवेदन की तारीख से अव्यवहित पूर्व समाप्त हुआ है या जहां उक्त तारीख से ऐसे पूर्व वर्ष की बाबत लेखे तैयार नहीं किए गए हैं वहां उस वर्ष से अव्यवहित पूर्व के पूर्व वर्ष की बहियों में दर्शित, स्थिर आस्तियों का मूल्य ।

(3) उपनियम (1) के अधीन बैंककारी कम्पनी द्वारा आवेदन प्ररूप सं० 15-ग में होगा और किसी अन्य व्यक्ति [उपनियम (1) के खण्ड (11) में निर्दिष्ट] द्वारा प्ररूप सं० 15-घ में होगा ।

(4) आयकर अधिकारी यदि उसका यह समाधान हो जाए कि उपनियम 2 में अधिकथित सब शर्तें पूरी हो गई हैं तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को उपनियम (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट आय को, धारा 195 की उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती किए बिना, प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करते हुए प्रमाण पत्र दे सकता है और ऐसे किसी प्रमाणपत्र का जारी किया जाना राजस्व हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(5) प्रमाण पत्र उसमें विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए विधिमान्य होगा जब तक कि यह उक्त वित्तीय वर्ष के अवसान से पूर्व किसी समय आयकर अधिकारी द्वारा रद्द न कर दिया जाए । यदि अपेक्षित हो तो पूर्वतर प्रमाण पत्र की विधि मान्यता की कालावधि के अवसान के पश्चात् या उसके अवसान से तीन मास पूर्व के भीतर, नये प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया जा सकता है ।

(6) प्रमाण पत्र प्ररूप सं० 15-ङ में होगा ।"

5. मुख्य नियमों के परिशिष्ट II में प्ररूप सं० 15-ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं० 15-ग"

(नियम 29-ख देखिये)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 195(3) के अधीन कर की कटौती किए बिना ब्याज और अन्य राशियों को प्राप्त करने के लिए बैंककारी कम्पनी द्वारा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन।

सेवा में,

आयकर अधिकारी ;

महोदय

मैं——————————————————जो——————————————

(बैंककारी कम्पनी का नाम)

का प्रधान अधिकारी हूं, एतद्द्वारा घोषित करता हूं :—

(क) कि——————————————————एक बैंककारी कम्पनी है जो न तो भारतीय कम्पनी है और न ऐसी कम्पनी है जिसने भारत में जमाओं की घोषणा और संग्रहण के लिए विहित इंतजाम किए हैं और जो भारत में——————————— में शाखा (शाखाओं) की मार्फत कार्य कर रही है।

(ख) कि उक्त कम्पनी का मुख्य कार्यालय——————————————————

(स्थान और देश का नाम)

में स्थित है।

(ग) कि उक्त कम्पनी आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष ——————19——————19——————के दौरान प्रभार्य ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) और अन्य राशियों को, जो लाभांश नहीं है प्राप्त करने को हकदार है।

(घ) कि कम्पनी आयकर नियम, 1962 के नियम 29ख में अधिकथित सब शर्तों को पूरा करती है।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि उक्त कम्पनी को वित्तीय वर्ष 19——————19——————के दौरान आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 195 की उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती किए बिना 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' से भिन्न ब्याज और अन्य राशियां जो लाभांश नहीं है, को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करने वाला प्रमाण-पत्र जारी किया जाय।

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि इस आवेदन में जो कहा गया है वह सही है।

तारीख

हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या 15घ

(नियम 29ख देखिए)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195(3) के अधीन कर की कटौती के बिना ब्याज और लाभांशों से भिन्न राशियों को प्राप्त करने के लिए बैंककारी कम्पनी से भिन्न व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन ।

सेवा में,

आयकर अधिकारी,

———————

महोदय,

मैं जो———————————————————————————

(ब्याज और लाभांशों से भिन्न राशियां प्राप्त करने के हकदार

———————————————————————————का प्रधान अधिकारी हूं,

व्यक्ति, फर्म या कम्पनी का नाम)

एतद्द्वारा घोषित करता हूं :—

(क) कि मैं/———————————————————————————

(फर्म, कम्पनी आदि का नाम)

अनिवासी निर्धारिती (जो बैंककारी कम्पनी नहीं है) हूं/हैं जो———————————

———————————नाम (नामों) से शाखा (शाखाओं) द्वारा

———————————में भारत में कारबार/वृत्ति चला रहा

हूं/हैं ;

(ख) कि मेरा मुख्यालय/———————————————————————————

——————————————————————————— का

(फर्म, कम्पनी आदि का नाम)

मुख्यालय———————————————————————————

(स्थान और देश का नाम)

पर स्थित है ;

(ग) कि मैं/———————————————————————————

(फर्म, कम्पनी आदि का नाम)

वित्तीय वर्ष 19———————19———————के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन प्रभार्य आय (लाभांशों और ब्याज से भिन्न) प्राप्त करने का/की हकदार हूं/हैं ;

(घ) कि मैं/———————————————————————

(फर्म, कम्पनी आदि का नाम)

आयकर नियम, 1962 के नियम 19 में अधिकथित सभी शर्तें पूरी करता हूं/करती है ।

अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि मुझे———————————————————————

———————————————————————को वित्तीय वर्ष

(फर्म, कम्पनी आदि का नाम)

19———————19———————के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 की उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती किए बिना ब्याज या लाभांशों से भिन्न आय प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र जारी किया जाए ।

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि इस आवेदन में जो कहा गया है वह सही है ।

हस्ताक्षर

तारीख

पता

प्ररूप संख्या 15ङ

(नियम 29ख देखिये)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 (3) के अधीन कर की कटौती किए बिना ब्याज और अन्य राशियों को प्राप्ति प्राधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र

आयकर कार्यालय

तारीख———————————

प्रमाण पत्र सं०———————————

सेवा में,

———————————

———————————

———————————

महोदय,

मैं एतद्द्वारा आप को———————————————————————

में स्थित शाखा (शाखाओं)/भारत में स्थित आपकी सभी शाखाओं को मार्फत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 की उपधारा (1) के अधीन आयकर की कटौती किए बिना निम्नलिखित राशियां प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

*(क) 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' से भिन्न ब्याज

*(ख) लाभांशों से भिन्न कोई अन्य राशि

*(ग) ब्याज या लाभांशों से भिन्न कोई राशियां

इस प्रमाणपत्र में केवल ऐसी राशियां आती हैं जो पूर्वोक्त शाखा (शाखाओं) द्वारा अपने हिसाब में प्राप्य हैं और वे राशियां नहीं जो आप के मुख्यालय या भारत से बाहर किसी अन्य शाखा या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से प्राप्य हैं।

यह प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 19————————19———————— के लिए प्रवृत्त रहेगा जब तक कि मेरे द्वारा इसे उक्त वित्तीय वर्ष के अवसान से पूर्व रद्द न किया जाए और इसकी प्रज्ञापना आपको न दी जाए।

मुद्रा

आयकर अधिकारी

*अनुपयुक्त शब्दों को काट दें।"

[सं० 167/फा० सं० 131 (22)/70]

आर० आर० खोसला, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970